


# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

थी सुरेश विपक्षी हुन्नीलाल  
 क्रम मुकदमा 2227/22 पत्रावली संख्या 152/16 सन \_\_\_\_\_

माह से मांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>11/11/24 पत्रावली पेश हुई। आर्थ. प्रार्थना                      उपा. वि. सं. 8 को पर्याप्त अवसर देने                      जाने के परामर्श की वकालतनामा/जवाब                      पेश नहीं किया। आगामी पेशी पर                      आवश्‍यक रूप से पेश करें। प्र. सं. 4/24                      की वारिस कागजी आवश्‍यक रूप से करवावे।                      पत्रावली वास्तु वारिस कागजी नोप।                      तलवी नं 2, 5, 6 / वकालतनामा / जवाब                      नं 8 दिनांक 19/12/24 को पेश हुई।</p>	
	<p>19/12/24                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>वा. कागजी/नं. 4 / तलवी नं. 2, 5, 6 / वकालतनामा / जवाब नं. 8</u>                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अंतिम</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>10/2/25</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
	<p>10/2/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>वा. कागजी/नं. 4 / तलवी नं. 2, 5, 6 / वकालतनामा / जवाब नं. 8</u>                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अंतिम</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>24/3/25</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">SDO मावली</p>	
	<p>24/3/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>वा. कागजी/नं. 4 / तलवी नं. 2, 5, 6 / वकालतनामा / जवाब नं. 8</u>                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अंतिम</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>12/5/25</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">SDO मावली</p>	

23/8/25  
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वा. कायमी | लखी | लखी | वा. कायमी  
के लिये मौका चाहते है। अतः 23/8/25  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 23/8/25  
को पेश हो।

(SDO) मावली

23/8/25  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 23/8/25 को पेश हो।  
B10  
5

25/8/25  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 25/8/25 को पेश हो।  
B10  
5

29/08/25  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राथीगिण मय स्वयं  
प्राथीगिण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्राथीगिण मय स्वयं प्राथीगिण  
को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM  
हो चुके हैं। अधिवक्ता प्राथीगिण मय स्वयं प्राथीगिण अब तक  
अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में  
वारिस कायमी। लखी में लम्बित हैं। अधिवक्ता प्राथीगिण को  
लखी। वारिस कायमी हेतु पयति अवसर दिये जाने पर  
भी लखी/वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट  
जाहिर होता है कि प्राथीगिण अपने प्रार्थना पत्र के प्रति  
क्षमता नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे  
हैं। आज भी स्वयं प्राथीगिण व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित  
रहे हैं। अतः अधिवक्ता प्राथीगिण मय स्वयं प्राथीगिण  
अनुपस्थित रहने पर प्राथीगिण का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी  
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय श्रुते न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली